Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding the issue of reservation after conversion.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा):महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

आज आदिवासी दिवस है। सभी आदिवासी भाई-बहनों को पार्लियामेंट ने याद किया है। आज मैं उसी से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ उठाना चाहता हूँ। वर्ष 1901 की जनगणना और वर्ष 2011 की जनगणना को देखिए। मैं झारखंड राज्य से आता हूँ और यदि आप झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, नॉर्थ-ईस्ट को देखेंगे तो आदिवासी समाज में क्रिश्चियन धर्म के प्रति कन्वर्जन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है। वर्ष 1901 में झारखंड में क्रिश्चियन धर्म की आबादी एक-दो परसेंट हुआ करती थी । मैं आदिवासी समाज की बात करता हूँ, आज लगभग 40-50 परसेंट आदिवासी समाज कन्वर्ट हो गया है। इसके लिए शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, मिशनरीज़ ऑफ चैरिटीज़ के नाम पर एक क्राइम इन लोगों ने लगा रखा है। अभी मिशनरीज़ ऑफ चैरिटीज़ की बात सामने आई है कि उन्होंने इसे एक सिंडिकेट क्राइम का अड्डा बना रखा है और उसमें यह सारा काम हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि जब पहले कन्वर्जन होता था, जब अंग्रेजों का शासन था, वर्ष 1936 में जब अंग्रेज यहाँ रूल करते थे तो उन्होंने इस संबंध में एक ऑफिस ऑर्डर निकाला था । उसे रायपुर ऑर्डर कहते हैं। उसके हिसाब से यह तय था कि यदि किसी को भी धर्मान्तरण, धर्म-परिवर्तन करना है, तो उनको वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर या वहाँ के अफसर से परमीशन लेनी है। यह वर्ष 1936 का रूल था। आजादी के बाद सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस ने जो कबाड़ा किया, उसका यह असर है कि पूरा का पूरा नॉर्थ-ईस्ट, पूरा का पूरा झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी समाज है, वह क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा है। वर्ष 1947 में जब कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में इस पर चर्चा हुई तो मैं आपको बताऊँ कि नगप्पा साहब, नेहरु साहब और अम्बेडकर साहब ने यह कहा कि जहाँ तक शेड्यूल्ड कास्ट्स का सवाल है, शेड्यूल्ड कास्ट्स में कोई भी कन्वर्जन, जो लोग दूसरे धर्म में चले जाएं, क्रिश्चियनिटी में चले जाएं या मुस्लिम धर्म में चले जाएं, तो उन्हें रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। यही कारण है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, जो भारत के धर्म थे, यदि शेड्यूल्ड कास्ट्स उनमें कन्वर्ट होते हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलता है। आदिवासी एक ऐसा विषय है, असम के हमारे भाई लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि कोई डिसप्लेस्ड हो जाता है, आदिवासी एरिया बेस्ड होता है। यदि हमारे झारखंड से आदिवासी असम में चले गए, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जब एरिया के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए ।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जिस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट्स को धर्म परिवर्तन करने के बाद रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स यदि धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, क्रिश्चियन हो जाते हैं या मुस्लिम हो जाते हैं, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए । यह मेरा सरकार से आग्रह है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Sharad Tripathi, Dr. Manoj Rajoria, Shri Virender Kashyap and ShriSunil Kumar Singh are permitted to associate with the issue raised

by Shri Nishikant Dubey.